तारीख हुक्म	प्र.सं. 58/2012 (2012/00036) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/11/20	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस श्री फा मंदिरा। दिनांक 11/12/20 को पेश हो।	
11/11/20	वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र विड्रॉ करने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली सिगे से तलब की गई। वादी नेनु नाथ उपस्थित है। वादी अधिवक्ता की सुना गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र में आगे कार्यवाही नहीं चाहने से वाद पत्र खारीज किया जाता है। पूर्व में अंकित धारा 24 दं.प्र.सं. 101/2012 में मूल वाद के निस्तारण तक जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त की जाती है। पत्रावली कैलेण्डर दुरुस्त होकर नम्बर से बंद हो।	नेनु नाथ Relevant by 11.11.2020 सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 12:09:21 IST
Reason: SelfAttested